(सायिक कारण अवश्य भरें)
पृष्ठ संख्या :

FIRST INFORMATION REPORT

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(Under Section 154 Cr. P.C.)

(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

№ 162556

1.* District (जिला) गुड़गांव *P.S. (थाना) SVB *Year (वर्ष) 2015 F.I.R. No. (प्र.सू.रि.सं.) 53 *Date (दिनांक) 10/12/15

2. (i) *Act (अधिनियम) ______ *Sections (धारायें) ______

(ii) *Act (अधिनियम) IPC & *Sections (धारायें) 420/120B IPC व

(iii) *Act (अधिनियम) P.C. Act 49/88 *Sections (धारायें) 13(1) D, P.C. Act.

(iv) *Other Acts & Sections (अन्य अधिनियम एवं धारायें) ______

3. *(a) (क) *Occurrence of offence (घटना का) Day (दिन) शिकायत नं० 1 *Date from (दिनांक से) 15/1/15 Date to (दिनांक तक) रवाड़ी पर दर्ज

*Time Period (पहर) ______ *Time from (समय से) ______ *Time to (समय तक) ______

*(b) (ख) Information received at P.S. (थाने पर प्राप्त सूचना का) *Date (दिनांक) 10/12/15 Time (समय) 11-30 AM

*(c) (ग) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) Entry No. (प्रविष्टि संख्या) 5 Time (समय) 11-40 AM

4. Type of information (सूचना किस प्रकार की) By Massanger Written / Oral (लिखित / मौखिक) Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल का ब्यौरा) (a) (क) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा एवं दूरी) दक्षिण लगभग 55/56 कि० मी०

Beat No. (बीट नं.) ______

(b) (ख) Address (पता) हुडडा विभाग रेवाड़ी

(c) (ग) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा से बाहर है तो)

Name of P.S. (थाने का नाम) मॉडल टाऊन रेवाड़ी District (जिला) रेवाड़ी

6. Complainant/Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता) हस्व आमद तहरीर निरीक्षक कुलवन्त सिंह

(a) (क) Name (नाम) पुलिस SVB, NNL Father's/Husband's Name ______ 15-01-15 रेवाड़ी पर दर्ज

(b) (ख) Date/Year of Birth (जन्म तिथि एवं वर्ष) शिकायत नं० 1 दिनांक (c) Nationality (राष्ट्रीयता) भारतीय

(e) (ङ) Passport No. (पासपोर्ट सं.) ______ Date of Issue (जारी करने की तिथि) ______ Place of Issue (जारी करने का स्थान) ______

(f) Occupation (व्यवसाय) सरकारी नौकरी (g) (छ) Address (पता) PS/SVB/GGN, Unit SVB NNL

SEEN

Special Director
S.V.B. Gurgaon

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण) (Attach separate sheet, if necessary) (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ संलग्न करें)

1. जगवीर सिंह पटवारी हाल-कानूनगो रेवाड़ी
2. इन्द्रजीत सिंह नायब तहसीलदार हाल-सेवानिवृत
3. हंसराज S/o [illegible] R/o [illegible] P.O. [illegible] (गुड़गांव)
4. कैलाश [illegible] W/o स्व० [illegible] R/o [illegible] रेवाड़ी

POLICE STATION S.V.B. (H)

इस समय एकतहरीर हिन्दी हस्ताक्षरी निरीक्षक कुलवन्त सिंह राज्य चौकसी ब्यूरो उपकेन्द्र नारनौल बदस्त मु० सतबीर सिंह नं० 627/MNL बराये कायमी मुकदमा थाना हजा में प्राप्त हुई जिसका विषय इस प्रकार से है, " सेवा में, प्रबन्धक थाना राज्य चौकसी ब्यूरो गुड़गांव। श्रीमान जी, यह जांच मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के आदेश क्रमांक 58/24/2014-3 चौकसी-II दिनांक 08-1-2015 की अनुपालना मे निदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकूला के पत्र क्रमांक 927/1-2/SVB (M) दिनांक 16-1-2015 को प्रारम्भिक जांच के आधार पर जांच क्रमांक नं० 1 दिनांक 15-01-2015 रेवाड़ी दर्ज रजिस्टर की गई थी। जिसमें निम्न आरोप की पड़ताल की जानी थी। की हुडडा विभाग द्वारा रेवाड़ी में ग्राम मालियावास मे सैक्टर-18 के लिए अन्य जमीन के अलावा रेक्ट नं० 275 खतौनी नं० 307 किला नं० 10 का 19/2 (2/2) 22 (9/14) कुल रकबा 11 कनाल 16 मरला अधिग्रहण करने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। लेकिन इस नम्बर मे से 2 कनाल 15 मरला ही जमीन अधिग्रहण की गई थी। इस रकबा में काफी हिस्सेदारान थे जिनको मुआवजा भी मिल चुका है। सरकार द्वारा ओस्टीज कोटे के तहत जिन भू स्वामियों की जमीन अर्जित की जाती है उनको हुडडा सैक्टर में ओस्टीज कोटे के तहत प्लाट अलॉट किये जाते है। परन्तु इस रकबा में जिन लोगों की जमीन अधिग्रहण की गई उनमे से काफी लोगों ने हुडडा विभाग के अधिकारी/कर्मचारी से मिली भगत करके ओस्टीज कोटे के तहत प्लाट अलॉट करवा लिए। जबकि उनमे से काफी उक्त प्लाटों के हकदार भी नहीं थे। हुडडा विभाग के अधिकारी/कर्मचारीयो से मिलीभगत करके भूस्वामीयों ने प्लाट गलत तरीके से अलॉट करवा लिये जिसकी जांच तफ्तीश मन निरीक्षक द्वारा की गई थी। जांच से प्राप्त कथनों,

— — जारी — — 2 — —

प्रलेखों का अवलोकन करने से पाया गया था कि गांव दालियावास
जिला रेवाड़ी की भूमि खेवट नं० 275 खतोनी नं० 307 किला नं० 10,
19/2 (2-2) 22, (9-14) कुल रकबा 11 कनाल 16 मरला में से 2 कनाल
15 मरला भूमि व खेवट/खतोनी 208/232, 88/97, 245/276, 244/
275, 178/199, 187/210, 233/263, 234/264, 246/277, 268/300,
231/260, 267/299, 167/184-185, 175/196, 1992, 223, 203/227
गांव दालियावास की भूमि सैक्टर-18 के लिए अवार्ड नं० 36 दिनांक
22-01-2006 द्वारा अधिग्रहण की गई थी। अधिग्रहण उपरान्त मुकेश,
विरेन्द्र सिंह, कंवरलाल, प्रवीन, राजीलाल, बलबीर, भारतीगम,
हंसराज, कैलाश पिपलानी व शिकायत करता की पत्नी कमलेश देवी
ने ओस्टीज कोटे के तहत आवेदन किया था जो हंसराज, कैलाश
पिपलानी, कमलेश देवी की खेवट नं० 275 खतोनी नं० 360 का
11 कनाल 16 मरला में से 2 कनाल 15 मरला भूमि अधिग्रहण की
गई थी इस खेवट में हंसराज 7 मरला, कैलाश पिपलानी 7 मरला
व कमलेश देवी का 13 मरला के मालिक थे। उपरोक्त तीनों व्यक्तियों
के अलावा अन्य खेवट में भू मालिक नही थे। जांच से पाया गया कि
इन तीन व्यक्तियों की 23 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण की गई थी इस
लिए ये तीनों व्यक्ति ओस्टीज कोटा के तहत प्लाट अलॉटमैन्ट के हक-
दार नही थे। लेकिन जगबीर पटवारी व इन्द्रजीत सिंह नायब-
तहसीलदार कार्यालय भूमि अर्जन अधिकारी गुड़गांव ने हंसराज व
कैलाश पिपलानी से मिलकर अपने पद का दुरूपयोग करके इनकी
जमीन अधिग्रहण की झूठी रिपोर्ट तैयार करके हुड्डा विभाग
में प्रेषित की जिसके आधार पर हंसराज व कैलाश पिपलानी को
हुड्डा विभाग द्वारा प्लाट दिये गये थे, लेकिन जांच से यह भी पाया
गया कि हुड्डा विभाग के अधिकारियों ने भी उक्त व्यक्तियों को

— — जारी — —

ओस्टीज कोटे के तहत प्लाट अलाट करते समय भूमि-
अर्जन अधिकारी की रिपोर्ट को ध्यान में नहीं रखा कि
ओस्टीज कोटे के तहत प्लाट की पात्रता के लिए 75 प्रतिशत
जमीन अधिग्रहण होनी चाहिये थी लेकिन उपरोक्त हंसराज
पुत्र शिम्भुदयाल निवासी तैरिवाडी पोस्ट ऑफिस तावडू गुडगांव व
कैलाश पिपलानी पत्नी स्व० सुभाष चन्द निवासी सैक्टर सराय ख्वाजा
को प्लाट नं० 1239-पी. दिनांक 17-12-2010, प्लाट नं० 1247 दिनांक
16-12-2010 सैक्टर-16 में तत्कालीन सम्पदा अधिकारी ने कमेटी की
रिपोर्ट के आधार पर अलॉटमैन्ट लेटर जारी कर दिये। इन्द्रजीत सिंह
नायब तहसीलदार व जगबीर सिंह पटवारी भूमि अर्जन कार्यालय गुडगांव
ने हंसराज पुत्र शिम्भुदयाल निवासी तैरिवाडी पोस्ट ऑफिस-तावडू-
गुडगांव व कैलाश पिपलानी पत्नी स्व० सुभाष-चन्द निवासी सैक्टर
सराय ख्वाजा से मिलीभगत करके गलत रिकार्ड तैयार करके
अपने पद का दुरुपयोग करके जुर्म जेरधारा 420, 120 B.
भा० द० सं० व 13-1-D (P.C. Act) पी सी एक्ट का किया जाने
का सुझाव दिया था व दौराने तफ्तीश व इंकवायरी भूमि
अर्जन कार्यालय गुडगांव के किसी अधिकारी/कर्मचारी व प्राईवेट
व्यक्ति की मिलीभगत पाई जावे तो उसे भी दोषी किया जावे
का सुझाव दिया गया था। जो उपरोक्त व्यक्तियों ने जेरधारा
420/120B. भा० द० सं० व 13 (1) डी पी सी एक्ट का अपराध
किया है जो उपरोक्त के खिलाफ उपरोक्त धाराओं के
अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किये जाने के लिए जांच पूर्ण
करके महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला

(प्रथम सूचना रिपोर्ट की मद संख्या 7 की संलग्नक)

Physical features deformities and other details of the suspect accused (If known seen)
संदिग्ध अभियुक्त की शारीरिक बनावट, विकृतियाँ तथा अन्य विवरण (यदि ज्ञात हों / देखे गए हों)

-5-

कार्यालय में भेजी गई थी जो अब मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग द्वारा मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के पृष्ठांकन क्रमांक 58/20/2014-1 चौकसी-II चौकसी दिनांक 30-10-2015 व महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के पृष्ठांकन 15872/1-2/SVB (H) दिनांक 30-10-2015 के अनुसार उपरोक्त व्यक्तियों के विरूद्ध श्री जगबीर सिंह पटवारी हाल-कानूनगो, श्री इन्द्रजीत सिंह, नायब तहसीलदार सेवानिवृत, श्री हंसराज निवासी तेरिवाड़ी, गुड़गांव व कैलाश पिपलानी निवासी सैयद सराय रेवाड़ी के विरूद्ध धारा 420/120B भा.द.स. व 13(1) डी भ्र० नि० एक्ट के अनुसार मुकदमा दर्ज किये जाने के आदेश प्राप्त हुये व तफ्तीश के दौरान डी.टी.पी. विभाग व भूमि-अर्जन अधिकारी कार्यालय गुड़गांव के किसी अधिकारी/कर्मचारी व प्राईवेट व्यक्ति की मिलीभगत पाई जाये तो उसे भी देख लिया जावे के भी आदेश प्राप्त हुए है। जो तहरीर दर्ज करके कायमी मुकदमा बदस्त ए० एस० आई (ASI) सतबीर सिंह के अरसाल थाना है। बाद कायमी मुकदमा नम्बर से सूचित किया जावे। स्पेशल रिपोर्ट बजरिया स्पेशल वाहक के अफसरानबाला की सेवा में भिजवाई जावे। मुकदमा दर्ज की आगामी तफ्तीश जांच हेतु निरीक्षक [illegible] कुमार धुनेर SVB रेवाड़ी को दी जावे।

12. F.I.R. contents (प्र. सू. रि. की विषय वस्तु) (attach separate sheet, if required) ...

11. *Inquest Report [illegible] U.D. case No. [illegible] if any [illegible] ____________

12. F.I.R. contents [illegible] (attach separate sheet, if required) [illegible]

इस्त: श्रीमान कुलवन्त सिंह, निरीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो उपक्षेत्र गुड़गांव
दिनांक 10-12-15. आजखाना :- आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा कानून मे
मजकूर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां
बजरिया कम्प्यूटर एक ही समय में तैयार की गई जो सेवा में अफसरान
बाला भेजी जायेगी। एक प्रति प्रथम सूचना रिपोर्ट बजरिया स्पेशल
रिपोर्ट सेवा में डिप्टी मजिस्ट्रेट साहब रेवाड़ी बदस्त हवलदार ASI
सतबीर सिंह भेजी जा रही है। असल मिसल पुलिस मय असल तहरीर
मय जांच रिकार्ड आगामी तफ्तीश हेतु निरीक्षक कृष्ण कुमार मुख्य SVB
रेवाड़ी के पास पहुंचाने हेतु HC हवलदार के हवाले की गई। ——

*13. Action taken [illegible] Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at item No. 2 [illegible]

1. Registered the case and took up the investigation or [illegible]
2. Directed Sh. Smt./Km. (Name of I.O.) [illegible] श्री कृष्ण कुमार Rank [illegible] No. SVB/मुख्य/RWR to take up the investigation or [illegible]
3. Refused investigation due to [illegible] ____________ Or [illegible]
4. Transferred to P.S. [illegible] ____________ District [illegible] ____________ on point of jurisdiction [illegible]

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost. [illegible]

R.O.A.C. [illegible]

Surender Singh
Signature of Officer incharge, Police Station
[illegible]

14. Signature/Thumb impression of the Complainant/informant [illegible]

Name (नाम) SURENDER SINGH
Rank [illegible] Dspr. No. BR-6

15. Date and time of dispatch to the court [illegible] 10-12-2015 at 1-30 P.M.